337

न्यायालय श्री मान सदस्य राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20 — 5 रु. भारत पाँच रुपये FIVE — 5 रु. भारत पाँच रुपये Rs.5 INDIA FIVE RUPEES

निग – 3013 – II-16

शंकर प्रसाद अग्निहोत्री तनय स्व0 रामफल अग्निहोत्री उम्र 65 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पहडिया 367 पोस्ट रौरा तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

---निगरानीकर्ता

बनाम

शीतला प्रसाद पाण्डेय तनय स्व0 भागवत प्रसाद पाण्डेय उम्र 70 वर्ष पेशा पेंशनर व खेती निवासी ग्राम पहडिया 365 पोस्ट बक्षेरा तह0 रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0प्र0

--- गैर निगरानीकर्ता

श्री सर्वेश चतुर्वेदी अधि. द्वारा आज दि. 03.9.16 को प्रस्तुत

रीडर ऑफ कोर्ट 3/9/16 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरूद्व निर्णय व आदेश दिनांक 23–08–16 जो न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक मण्डल /तहसील रायपुर कर्चु0 जिला रीवा म0 प्र0 द्वारा प्र0क0 262/अ–12/2015–16 में पारित किया गया निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0स0 1959 ई0

मान्यवर,

Dated 03/09/16

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23–08–2016 विधि प्रकिया के विपरीत अवैधानिक व अनियमित एवं सीमांकन के नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– यह कि निगरानीकर्ता के स्वत्व व अधिपत्य की भूमि नं0 587, 586 585, 581, 580, 578, है जिसके दक्षिण दिशा में गैरनिगरानीकर्ताके भूमि स्वामित्व की भूमि नं0 588 रकवा 0.134 हे0 के दक्षिण दिशा में स्थिति गैरनिगरानीकर्ता की मेड आ.क. 589 रकवा 0.105 हे0 में शामिल होकर निगरानीकर्ता की उपरोक्त भूमि सें संलग्न है। गैरनिगरानीकर्ता की सीमां दक्षिण दिशा में डाली गई मेड सहित दक्षिण दिशा में गैरनिगरानीकर्ता का कब्जा दखल है तथा उक्त भूमि नं0 588 व 589 की मेड की सीमा के उत्तर दिशा में निगरानीकर्ता का कब्जा दखल काश्त करते हुये अब तक चला आ रहा है किन्तु निगरानीकर्ता का सरहदी व सीमावर्ती कृषक होते हुए भी निगरानीकर्ता को ...

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–3013–दो / 2016 जिला– रीवा

शंकरप्रसाद अग्निहोत्री विरूद्ध शीलता प्रसाद पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी राज्स्व निरीक्षक मण्डल तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीव के प्र. क्र. 262 / अ–12 / 2015–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 23–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	